"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक-जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 18, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री जेवियर तिग्गा, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर/परिवहन विभाग को केवल परिवहन विभाग के कार्यभार से मुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (2000) संयुक्त सचिव, गृह/सहकारिता विभाग एवं संचालक, संपदा को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. श्री हिम शिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर (जगदलपुर) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008) अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा, जिला दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ. 2-22/2010/1-8.—श्री सुनील विजयवर्गीय, स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पदनामित करते हुए, मुख्य सचिव कार्यालय, में पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक 1531/793/अव./2011/1-8/स्था.—श्री सी.पी. साहू, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 24-10-2011 से 29-10-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23 एवं 30-10-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साहू, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक 1533/751/अव./2011/1-8/स्था.—श्री के. के. बाजपेयी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27-9-2011 से 7-10-2011 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8 एवं 9-10-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बाजपेयी आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बाजपेयी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बाजपेयी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक 1535/780/अव./2011/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1476-77/729/अव./2011/1-8/स्था., दिनांक 11-10-2011 द्वारा श्री जय नारायण अवस्थी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 7-9-2011 से 29-9-2011 तक 23 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30-9-2011 एक दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 11-10-2011 के अनुसार यथावत् होंगे.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक 1536/775/अव./2011/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 24-10-2011 से 5-11-2011 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23-10-2011 तथा 6 एवं 7-11-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा,आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्रमांक 1545/808/अव./2011/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 24-10-2011 से 29-10-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23 एवं 30-10-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लेवे,आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्रमांक 1547/796/अव./2011/1-8/स्था.—श्री भगवान सिंह कुशवाह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 17-11-2011 से 24-11-2011 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुशवाह, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुशवाह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुशवाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्रमांक 1549/819/अव./2011/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1472-73/733/अव./2011/1-8/स्था., दिनांक 11-10-2011 द्वारा श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 7-10-2011 से 14-10-2011 तक 08 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15-10-2011 से 17-10-2011 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 11-10-2011 के अनुसार यथावत् होंगे.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 6-12/2009/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा मान. श्री प्रदीप कुमार देशपाण्डे, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 15-09-2011 से 24-09-2011 तक (10 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पश्चात् 25-09-2011 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-11-2011 द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई घटना की न्यायिक जांच के लिये गठित विशेष जांच आयोग के कार्यकाल में 6 माह (दिनांक 12-11-2011 से दिनांक 11-04-2012 तक) की वृद्धि की गई है, जिसमें (दिनांक 12-11-2011 से दिनांक 11-04-2012 तक) के स्थान पर (दिनांक 12-11-2011 से दिनांक 11-05-2012 तक) पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 9-14/2011/1-8.—डॉ. जितेन कुमार (भा.व.से.-1986), आयुक्त-सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 2-04/2004/1-8 (पार्ट).—श्री भारत कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव (संविदा), स्कूल शिक्षा विभाग के अवकाश अवधि दिनांक 02-11-2011 से 12-11-2011 तक या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थाई रूप से स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक 1527/792/अव./2011/1-8/स्था.—श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 17-10-2011 से 22-10-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 15, 16 एवं 23-10-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्रमांक 1355/654/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वीरेन्द्र गुप्ता, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, गृह विभाग को दिनांक 12-9-2011 से 16-9-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10, 11, 17 एवं 18-9-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, गृह विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्रमांक 1357/661/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एस. के. सारस्वत, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 19-7-2011 से 23-7-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-7-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सारस्वत, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ

3. अवकाश अवधि में श्री सारस्वत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सारस्वत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ. 2-04/2007/1-8 (पार्ट).—श्री सुधीर अग्रवाल (भा.व.से.) विशेष सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटाई जाती है.

2. डॉ. भारत कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अतिरिक्त सचिव, जिन्हें संसदीय कार्य विभाग ने आदेश क्रमांक 80/एफ-4(3)/48/सं.का./09 दिनांक 09-02-2011 द्वारा संसदीय कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की है, को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 2-16/2010/1-8.—श्री रवि नेताम, (रा.वि.से) सहायक संचालक, वित्त की सेवायें वित्त विभाग से लेते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध वित्त विभाग में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 2-23/2004/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-07-2004 के अनुक्रम में श्री राजकुमार शर्मा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (मीडिया), मुख्यमंत्री सचिवालय का मानदेय 01-10-2011 से रुपये 40,000/- (रुपये चालीस हजार) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह व्यय मांग संख्या-01-सामान्य प्रशासन-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-(090)-सचिवालय (4327) आयोजनेत्तर-01-वेतन भत्ते के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. इस मानदेय के अलावा उन्हें पूर्व में स्वीकृत अन्य सुविधाएं यथावत् रहेगी.

4. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. क्रमांक 437/सी.एन.0000095 बजट-5/वित्त/चार 2011 दिनांक 11-10-2011 द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 01-49/स्था./31/2009.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश क्रमांक एफ 3-1/2006/1-7 दिनांक 15-11-2011 द्वारा श्री शशिराज गुप्ता, अधीक्षण अभियंता/वि.क.अधि. (मंत्रालय जल संसाधन विभाग तकनीकी शाखा) कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाकर, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

अतएव राज्य शासन द्वारा, श्री शशिराज गुप्ता अधीक्षण अभियंता/वि.क.अधि. (मंत्रालय जल संसाधन विभाग तकनीकी शाखा) कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपते हुए, पदस्थ किए गए स्थान में, कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 24-11-2011 अपरान्ह से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-19-47/2011/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय दो कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है.

2. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष का होगा.

(1)	डॉ. सोमनाथ यादव, जिला बिलासपुर	—	अध्यक्ष
(2)	श्री प्रहलाद रजक, जिला बेमेतरा	—	सदस्य
(3)	श्री भुवनेश्वर सिंह केसर, कुनकुरी, जिला जशपुर	—	सदस्य
(4)	श्री देवेन्द्र जायसवाल, डौंडीलोहारा, जिला दुर्ग	—	सदस्य
(5)	श्री शिव चन्द्राकर, जिला दुर्ग	—	सदस्य
(6)	श्रीमती ममता साहू, जिला धमतरी	—	सदस्य
(7)	श्री छतरसिंह नायक, जिला महासमुंद	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला दुर्ग, छ.ग. रायपुर को गृह ग्राम कांकरबाग, पटना बिहार में आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 24-10-2011 से दिनांक 11-11-2011 तक कुल 19 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 12-13 नवंबर 2011 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से. के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री शेख आरिफ हुसेन, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला दुर्ग, छ.ग. को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

3. श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला दुर्ग, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक शांडिल्य, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, बघेरा, जिला दुर्ग, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 नवम्बर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	दुरपा प.ह.नं. 17	0.045	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	लहंगा माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 नवम्बर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	लोहराकोट प.ह.नं. 03	0.061	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6, सक्ती.	लोहराकोट माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक/8274/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रींवागहन प. ह. नं. 04	1.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के रीवांगहन माइनर नहर निर्माण में अर्जित हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक/8275/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	देवकट्टा प. ह. नं. 03	2.97	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	देवकट्टा जलाशय के रीवांगहन माइनर नहर निर्माण में अर्जित हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्रमांक 13/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 5/अ.-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिर हसौद प. ह. नं. 73/14	362/1	0.040	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर अन्तर्गत योजना क्षेत्र (लेयर-1) में प्रभावित भूमि का नया रायपुर निर्माण हेतु.
			362/2	0.100		
			364/1	0.113		
			364/2	0.223		
			364/3	0.109		
			368	0.380		
			373	0.085		
			1395/1	0.095		
			1396/1	0.231		
			1396/2	0.454		
			1397/1	0.428		
			1398	0.045		
			1399	0.773		
			1400/2	0.178		
			1401/1	0.466		
			1401/2	0.466		
			1401/3	0.466		
			1401/4	0.713		
			1401/5	0.717		
			1401/6	0.717		
			1402	0.287		
			1403/1	0.296		
			1404/1	0.020		
			1408/1-2-3	0.306		
			1409/1	0.430		
			1422/5	0.040		
			1422/7	0.142		
			1505/1, 1505/2, 1505/3	9.717		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1506	0.372		
			1507/1	0.263		
			1507/2	0.267		
			1507/3	0.267		
			1508	0.624		
			1509	0.291		
			1510/1	0.101		
			1510/2	0.105		
			1511	0.300		
			1514/1	0.210		
			1515/1	0.211		
			1516/1	0.207		
			1517/1	0.385		
			1518/2	0.040		
			1519	0.040		
			1520/1	0.051		
			1521/1	0.172		
			1522	0.336		
			1523	0.120		
			1525/8	0.356		
			1529/1-2	0.050		
			1557/2	0.082		
			1559/2	0.286		
			1560	0.259		
			1561	0.316		
			1562/1	0.607		
			1562/3	0.202		
			1562/4	0.210		
			1562/5	0.356		
			1562/6	0.352		
			1562/7	0.607		
			1563/1	0.648		
			1563/2	0.539		
			1563/3	0.466		
			1563/4	0.049		
			1568/1	0.604		
			1568/2	1.214		
			1568/3	0.445		
			1568/4	0.077		
			1569/1	0.199		
			1569/2	0.198		
			1570	0.303		
			1571/1	0.163		
			1571/3	0.133		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1573/2	0.202		
			1574/1	0.227		
			1574/2	0.223		
			1575	0.638		
			1576/1	0.223		
			1576/3	0.192		
			1577	0.733		
			1578/2	0.214		
			1578/4	0.053		
			1578/5	0.053		
			1579/1	0.388		
			1582	1.392		
			1583	0.458		
			1584/1	0.360		
			1584/2	0.360		
			1584/3	0.356		
			1584/4	0.356		
			1585	0.053		
			1586	0.845		
			1587	0.279		
			1588	0.425		
			1589/1	0.129		
			1589/3	0.065		
			1590/1	0.560		
			1590/2	0.561		
			1591/1	0.534		
			1591/3	0.251		
			1594	0.129		
			1595	0.510		
			1597	0.882		
			1598	0.299		
			1599	0.138		
			1600	0.328		
			1601	0.235		
			1604	0.364		
			1605/1	0.125		
			1605/2	0.121		
			1606	0.336		
			1607	0.259		
			1608	0.275		
			1610	0.170		
			1611	0.162		
			1612	0.202		
			1613	0.793		
			1614	0.413		
			1615	0.849		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1616	1.133		
			1617	0.486		
			1619	0.121		
			1620	0.494		
			1621/1	0.109		
			1625	0.741		
			1626/1	0.138		
			1626/2	0.134		
			1626/3	0.134		
			1627/1	0.142		
			1627/2	0.142		
			1628	0.312		
			1629	0.332		
			1630/1	0.081		
			1630/2	0.081		
			1631	0.757		
			1632	0.425		
			1633	0.741		
			1634/1	0.081		
			1634/2	0.077		
			1635/1	0.263		
			1635/3	0.263		
			1636/1	0.036		
			1636/2	0.146		
			1636/4	0.037		
			1636/5	0.037		
			1637/1	0.274		
			1637/2	0.273		
			1638/1	0.182		
			1638/2	0.186		
			1638/3	0.186		
			1639	1.283		
			1641	0.162		
			1642/1	0.081		
			1642/2	0.081		
			1642/3	0.081		
			1643	0.429		
			1644	0.291		
			1645	0.619		
			1646	0.646		
			1647	0.235		
			1648	0.138		
			1649	0.251		
			1652	0.089		
			1653	0.227		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1654	0.336		
		योग	164	61.333		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2011

क्रमांक 14/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 4/अ.-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौदा प. ह. नं. 72/15	547	0.780	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य योजना क्षेत्र हेतु.
			548	0.020		
			838	0.370		
			842	0.150		
			845	0.100		
			848	0.320		
			850	1.930		
			853	0.020		
			857	0.270		
			861	0.080		
			863	0.120		
			864	0.580		
			866	0.120		
			870	0.360		
			872	0.640		
			883	0.260		
			885	0.230		
			886	0.170		
			893	0.080		
			894	0.180		
			896	0.310		
			898	0.110		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			899	0.080		
			901	0.220		
			902	0.420		
			903	0.250		
			904	0.290		
			905	0.100		
			906	0.080		
			907	0.070		
			908	0.020		
			909	0.040		
			911	0.100		
			912	0.040		
			913	0.160		
			914	0.140		
			915	0.060		
			916	0.100		
			917	0.030		
			918	0.020		
			919	0.280		
			920/2	0.030		
			920/3	0.280		
			921	0.070		
			923	0.110		
			937	0.270		
			938	0.160		
			944	0.300		
			945	0.350		
			946	0.590		
			947	0.480		
			948	0.130		
			949	0.070		
			953	0.440		
			955	0.350		
			960	0.200		
			961	0.270		
			962	0.190		
			963	0.760		
			964/1	0.150		
			964/2	0.200		
			965/1	0.530		
			965/3	0.280		
			965/5	0.220		
			966	0.130		
			967	0.530		
			968	0.170		
			969	0.090		
			973	0.290		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			974	0.100		
			975	0.040		
			976	0.070		
			977	0.090		
			978	0.170		
			979	0.150		
			980	0.210		
			982	0.140		
			985	0.090		
			987	0.400		
			988	0.100		
			1436	0.150		
			1437	0.150		
			1502/2	1.060		
			1508	0.350		
			1510	0.450		
			1512	3.370		
			1513	0.660		
			1516	2.280		
			1521	0.140		
			1528	0.100		
			1530	0.170		
			1712	0.400		
			1714	0.160		
			1721	0.180		
			1723	1.680		
			1804	0.680		
			1807	0.090		
			1808	0.550		
			1812	0.410		
			1819/1	0.080		
			1840	0.200		
			1848	0.410		
			1849	0.020		
			1851	0.650		
			1852	0.140		
			1853	0.130		
			1854	0.450		
			1867	0.070		
			1869	0.150		
			1871	0.890		
			1885	0.130		
			1887	0.470		
			1889	0.050		
			1893	0.220		
			1900	0.390		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1901	8.410		
			1925	0.130		
			1926	0.190		
			1930	0.210		
			1931	0.290		
			1932	0.390		
			1933	0.370		
			1934	1.380		
			1935	0.620		
			1936	0.540		
			1962	0.400		
			1965	0.340		
			1967	0.140		
			1968	0.170		
			1969	0.260		
			1971	1.350		
			1989	0.500		
			1991	0.300		
			1992	0.060		
			1996	0.080		
			1999	0.050		
			2007	0.300		
			2010	0.850		
			2012	0.350		
			2013	0.570		
			2016	1.010		
			2017	0.320		
			2021	0.270		
			2023	0.090		
			2025	0.250		
			2027	0.180		
			2029	0.470		
			2031	0.390		
			2032	0.590		
			2034	0.480		
			2035	0.260		
			2043/1	0.180		
			2044	4.070		
			2053	0.410		
			2056	0.460		
		योग	**155**	**64.060**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./6/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	धनपुर प.ह.नं. 12	3.87	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेवरा-धनपुर-सिवनी मार्ग (जिला मुख्य मार्ग).

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./9/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	निमधा प.ह.नं. 11	9.10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेवरा-धनपुर-सिवनी मार्ग (जिला मुख्य मार्ग).

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2011

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	लरकेनी प.ह.नं. 12	8.94	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेवरा-धनपुर सिवनी मार्ग (जिला मुख्य मार्ग).

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-जमरगी बी, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.035 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
458	0.264
460	0.020
426	0.242
417	0.045
418/1	0.092
418/2	0.024
414	0.032
413	0.072
412	0.280
411	0.224
416	0.032
415/2	0.184
53	0.124
80	0.336
84	0.120
88	0.560
51	0.120
50	0.120
81	0.312

	(1)	(2)
	86	0.324
	90	0.192
	17/1	0.440
	17/8	0.108
	17/4	0.170
	17/3	0.008
	49	0.218
	17/6	0.084
	17/9	0.108
	29	0.180
योग	29	5.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के आर.बी.सी. मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-शिवपुर, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.403 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	391/1	0.152
	391/2	0.302
	393	0.645
	394	0.304
योग	4	1.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी नाला जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्रमांक 17065 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर- चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-तागा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 83.72 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
64/2 क	2.72
64/2 ख	0.85
64/2 ग	0.25
64/2 छ, 64/2 झ	0.77

(1)	(2)	(1)	(2)
64/2 न	0.53	99, 100	0.62
64/2 प	0.26	101, 102	2.68
143/2	0.44	104	0.26
65, 66/2, 67/2	1.41	105	0.21
66/1, 67/1	0.35	112	0.11
68	1.14	113	0.51
69	0.77	107	0.55
70, 71	0.31	109	0.47
79	0.27	110	0.22
72	0.29	111	0.23
73	0.21	114	1.19
74/1, 77/1	0.63	116	0.54
74/2, 77/2	0.62	121	0.14
75	0.20	115	0.52
76/1	0.46	118/1	0.31
76/2	0.30	120	1.22
76/3	0.24	124/1	0.07
76/4	0.30	125/1	0.15
78	0.86	125/2	0.15
81	0.69	125/3	0.15
82	0.33	125/4	0.16
83/1	0.25	127	0.14
83/4	0.40	128	1.42
83/5	0.26	130, 131/5	0.60
83/2	0.60	131/1	0.78
83/3	1.80	131/2	0.11
84	0.31	131/3	0.26
106	0.25	131/4	0.12
108	0.39	131/6	0.30
89/2, 89/3, 90/2	0.40	131/7	0.70
90/1	0.22	131/8	0.75
91/1	0.22	132/1	0.74
91/2	0.20	136/2	0.84
92	1.14	132/2	0.30
123	0.15	133	0.45
119	0.93	134	3.45
118/2	0.39	136/1	0.22
117/2	0.32	136/3	1.57
117/1	0.32	135	1.42
103	0.58	136/4	0.50
122	0.21	138/2	1.00
124/2	0.56	139/2	0.31
94/1	0.36	137	1.12
94/2	0.35	138/1	0.95
95, 96	0.46	139/1	0.31
97, 98	0.41	138/3	0.94

(1)	(2)
140	0.45
141, 142	0.88
143/1	0.52
144/1	0.50
145, 146	8.05
147, 148, 149	1.20
150	0.04
155/1	0.23
156, 157	0.73
151	0.20
152	0.09
153	0.06
154	0.15
160/1	0.13
161	0.67
162	0.16
163	0.18
164	0.10
165	0.27
166	1.26
168	0.13
170	0.40
155/2	0.36
158, 159	0.51
160/2	0.03
167	0.89
169	0.18
171	0.33
176/1ख	0.62
176/1ग	0.62
241/1	0.08
241/2, 242	0.90
241/3	0.75
243	0.64
244, 245	0.11
272, 273	0.38
267	0.13
268	0.85
275/1, 280/1	0.44
269	0.06
275/2, 280/2	0.44
276	0.14
279	0.78
277/1	0.19
277/2	0.21
278/1	0.23
278/2	0.12
278/3	0.12
281/1	0.15
281/2	0.23
281/3	0.18
277/3	0.07
2796, 2797	0.14
योग	83.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड 765/400 के.वी. उपकेन्द्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्रमांक 17066 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.07 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
734	0.30
738/1	0.34
739/1	0.26
739/2	0.14
935/1	0.18
935/2	0.04
936, 937/1, 940/3	1.06

	(1)	(2)
	937/2	0.08
	938	0.15
	939/2	0.21
	940/1	0.56
	940/2	0.15
	942, 943, 944, 945	0.10
	946, 947	0.79
	948/1	0.32
	939/1, 948/2	0.37
	949, 950	0.55
	951	0.64
	953, 955, 956	0.54
	954	0.22
	957	0.65
	739/3	0.27
	739/4	0.11
	739/5	0.08
	739/6	0.08
	940/4	0.56
	941	0.32
योग	27	9.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पावरग्रिड 765/400 सब स्टेशन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक 3686/प्र. 1/अविअ/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-परसाही, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	169	0.15
योग		0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिर्री व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक 3688/प्र. 1/अविअ/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-चीचा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1066	0.30
योग	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चीचा व्यपवर्तन के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 नवम्बर 2011

क्रमांक 3690/प्र. 1/अविअ/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-भिलाई, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
647/3	0.14
योग	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासाभाठ जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर, जिला-बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 1409/प्र./अ.वि.अ. (रा.) 10/अ-82/2008-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-35/सात-3/2008 दिनांक 02-06-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुडा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	तोकापाल	साकरगांव	192	0.23
			207	0.05
			208	0.05
			217	0.04
			224	0.05
			225 5	0.02
			226 6	0.04
			227	0.02
			229	0.06
			230	0.01
			244	0.06
			246	0.02
			252	0.04
			254	0.03
			255	0.03
			258	0.07
			261	0.06
			262	0.02
			284	0.09
			285	0.02
			408	0.05
			417	0.01
			418	0.05
			419	0.01
			425	0.11
			426	0.06
			437	0.09
			438	0.04
			450	0.01
			योग	1.44

जगदलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2011

प्रारूप-घ
(नियम-6)

क्रमांक 1410/प्र./अ.वि.अ. (रा.) 11/अ-82/2008-09.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जगदलपुर को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-35/सात-3/2008 दिनांक 02-06-2009 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार टाटा इस्पात संयंत्र परियोजना के लिये तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी) तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन ग्राम सिरिसगुडा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 1 मई 2009 को प्रकाशित की गई है. कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को की गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा की तारीख से भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	तोकापाल	बुरजी	64	0.26
			68	0.13
			योग	**0.39**

संतोष कुमार,
सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).